राजस्थान–सरकार
न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री अवि गर्ग, आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
03/2019	परिवाद धारा 133 CRPC	23.08.2019	07.01.2020

मैनपालसिंह पुत्र श्री सम्पतसिंह बीका जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान तहसील व जिला चूरू (राज.) मो.नं. 7425018874

–प्रार्थी–

बनाम

1. भारतसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. वेदकंवर पत्नी करणीसिंह जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान तहसील व जिला चूरू (राज.)

–अप्रार्थीगण–

परिवाद अन्तर्गत धारा 133 सी.आर.पी.सी.

आदेश

प्रार्थी मेनपालसिंह द्वारा एक परिवाद अन्तर्गत धारा 133 सीआरपीसी का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम चलकोई बीकान तहसील व जिला चूरू का स्थाई निवासी है। प्रार्थी की अचल सम्पत्ति, मकान ग्राम चलकोई बीकान में स्थित है। प्रार्थी के मकान के समीप ही अप्रार्थीगण के कब्जा उपयोग उपभोग के रिहायशी मकानात हैं। अप्रार्थीगण के मकानात पचासों वर्ष पुराने हैं, जो जर्जर हालात में हैं। यह कि अप्रार्थीगण के उपरोक्त जर जर स्थिति के मकानात का आगे का हिस्सा इस बारिश के मौसम में दिनांक 15.08.2019 को रात्रि में 1.30 बजे के करीब भरभरा कर गिर गया, जिसका मलबा प्रार्थी के मकानात व रास्ता में बिखरा पड़ा है जिससे आवागमन बाधित है एवं न्यूसेन्स कारित हो रहा है। प्रार्थी व आम जनता का अप्रार्थीगण के उपरोक्त मकानात के पास से गुजरना आवागमन करना बाधित हो रहा है। यह कि अप्रार्थीगण के शेष बचे मकानात के उपर करीब 40 फुट उंचा चौबारा/कमरा बना हुआ है जो काफी जर जर स्थिति में है। इस चौबारा/कमरा को सपोर्ट देने वाला निचला हिस्सा पूर्व में ही टूटकर गिर चुका है। इस कारण यह चौबारा कभी टूट कर गिर सकता है जिससे प्रार्थी के मकानात और आम जन के जानमाल को खतरा उत्पन्न हो सकता है। प्रार्थी व आमजन को हानि हो सकती है। अप्रार्थीगण का उक्त मकान कतई रिहायश योग्य नहीं है जिसे गिराकर हटाया जाना आवश्यक है, अन्यथा ग्रामवासीगण के साथ साथ ही अप्रार्थीगण को भी जानमाल का खतरा है। यह कि अप्रार्थीगण का उपरोक्त जर जर हालशुदा मकान पब्लिक न्युसेन्स की तारीफ में आता है। इस कारण प्रार्थी व ग्रामवासीगण को इस पब्लिक न्युसेन्स से शारीरिक व साम्पतिक क्षति होने का पूर्ण अन्देशा है। इस कारण मामला अर्जेण्ट नेचर का होने से अप्रार्थीगण को तुरन्त सशर्त आदेश जारी कर इस पब्लिक न्युसेन्स को हटाया जाना आवश्यक है। यह कि इस लोक न्युसेन्स से प्रार्थी व अन्य आम जनता हर समय जानमाल के का खतरा कारित होने बाबत आवेदन किया, लेकिन अप्रार्थी संख्या 3 ग्राम पंचायत जिम्मेवार लोक सेवक होते हुए भी, इस न्युसेन्स के बाबत कोई कार्यवाही नहीं की। इस कारण अप्रार्थी सं. 3 को पक्षकार बनाया गया है। अतः आवेदन पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थीगण को तलब कर सशर्त आदेश जारी कर पब्लिक न्युसेन्स को हटाये जाने की कृपा करें।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
चूरू

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं पेश मौके के छाया चित्रों के अवलोकन से ाईमाफेसाई यह बात सही प्रतीत होने पर कि उक्त विवादित मकानात जो ग्राम चलकोई बीकान में स्थित हैं, काफी पुराने व जर्जर अवस्था में होने से इनका कुछ हिस्सा गिर चुका है तथा शेष बचे हुए हिस्से की नींव जर्जर होने से कभी भी गिर सकती है जो सीआरपीसी की धारा 133 (घ) के अन्तर्गत न्युसेन्स की श्रेणी में आता है, जिसमें वर्णित है कि 'कोई भवन, तम्बू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि सम्भाव्य है कि वह गिर जाए और पड़ौस में रहने या कारोबार करने वाले या पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो, और परिणामतः ऐसे भवन, तम्बू या संरचना को हटाना, या उसकी मरम्मत करना या उसमें आलम्ब लगाना, या ऐसे वृक्ष को हटाना या उसमें आलम्ब लगाना आवश्यक है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्युसेन्स को हटाने के लिए ऐसे भवन, तम्बू, संरचना, पदार्थ, तालाब, कुएं या उत्खात का स्वामित्व या कब्जा या नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अन्दर, जितना उस आदेश में नियत किया जाएगा, वह ऐसे भवन, तम्बू या संरचना को हटाए, उसकी मरम्मत कराए या उसमें आलम्ब लगाए अथवा ऐसे वृक्षों को हटाए या उसमें आलम्ब लगाए। यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और स्थान पर, जो उस आदेश द्वारा नियत किया जाएगा, हाजिर हो और इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित प्रकार से कारण दर्शित करे कि उस आदेश को अन्तिम क्यों न कर दिया जाए।' प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्यों एवं पेश छाया चित्रों के आधार पर प्रथम दृष्टया न्युसेन्स पैदा होना एवं उक्त विवादित मकानात के आसपास स्थित घरों व आने जाने वाले राहगीरों को जानमाल का खतरा पैदा होना परिलक्षित होने पर न्युसेन्स की स्थिति को हटाने एवं प्रार्थी व आमजन को जानमाल के नुकसान से बचाने के लिए अप्रार्थीगण को उक्त विवादित मकानात की अतिशीघ्र मरम्मत करवाने या आलम्ब लगाने हेतु पाबन्द किया जाना तथा यदि अप्रार्थीगण उक्त मकानात की मरम्मत नहीं करवाते हैं या आलम्ब नहीं लगवाते हैं तो उक्त मकानात के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होने पर उक्त विवादित मकानात के वर्तमान मालिकान व ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 को इस आशय का नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया कि वे इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अन्दर ग्राम चलकोई बीकान में अवस्थित विवादित पुराने व जर्जर मकानात की मरम्मत करवाना या आलम्ब लगाया जाना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा नहीं करने पर उक्त हवेली को क्यों ना ध्वस्त कर दिया जावे। अप्रार्थीगण को इसमें कोई उजर या आपत्ति हो तो दिनांक 13.09.19 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित आकर पेश करें अन्यथा एकतरफा आदेश पारित किया जावेगा। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चूरू एवं तहसीलदार, चूरू से उक्त पुराने जर्जर मकानात के बारे में वास्तविक वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई।

अप्रार्थीगण के नोटिस विधिवत तामील होकर प्राप्त हुए परन्तु अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। तामिली नोटिस पर अप्रार्थीगण की ओर से अंकित आया कि पुराने व जर्जर मकानात को गिराये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चूरू के पत्रांक 2259 दिनांक 23.09.19 के द्वारा विवादित मकानात् के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अंकित आया कि "मकान धांधले पत्थर से बना है तथा पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है, मकान के आगे का आधा हिस्सा गिर चुका है

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चूरू

मकान का आधा शेष हिस्सा पूर्ण रूप से जर्जर व असुरक्षित है, तुरन्त गिराया जाना आवश्यक है, जिससे अन्य आस–पड़ौस के रहवासियों की जान माल की सुरक्षा हो सके।" उक्त रिपोर्ट से परिवाद में अंकित न्युसेन्स बाबत तथ्यों की पुष्टि होने पर अप्रार्थीगण को पुनः इस आशय के सशर्त आदेश के नोटिस जारी किये गये कि आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर–अन्दर ग्राम चलकोई बीकान में अवस्थित उक्त विवादित पुराने मकानात् को स्वयं अपने स्तर पर हटा कर न्युसेन्स हटा दें एवं हटाने की सूचना इस न्यायालय में पेश करें। आप द्वारा ऐसा नहीं करने पर उक्त मकानात् को न्यायालय स्तर पर ध्वस्त करने का एकतरफा आदेश दिया जावेगा जिसकी समस्त व्यय राशि का भुगतान आपको करना होगा। उक्त नोटिस की तामील भी अप्रार्थीगण स्वयं पर विधिवत रूप से होने के बावजूद ना तो अप्रार्थीगण उपस्थित आये एवं ना ही विवादित मकानात् को अपने स्तर पर गिराकर न्युसेन्स को हटाया। तहसीलदार, चूरू की ओर से वस्तुस्थिति की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अंकित आया कि "उक्त मकानात् धांधले पत्थर व चूने से बने हुए हैं तथा काफी पुराने हो चुके हैं। मकान की दीवारें एवं छत आदि काफी जर्जर अवस्था में है। मकान वर्तमान में खाली हैं। यदि समय रहते उक्त उक्त मकान पर ध्यान नहीं दिया गया तो मकान क्षतिग्रस्त होकर गिर सकते हैं जिससे आस–पास के मकान क्षतिग्रस्त होकर जान–माल का नुकसान होने की सम्भावना है।"

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अप्रार्थीगण को दो बार नोटिस दिये जाने एवं विधिवत तामील होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया जिस पर प्रस्तुत परिवाद, संलग्न छाया चित्र, छाया प्रतियां प्रार्थना पत्र प्रार्थी, वस्तुस्थिति रिपोर्ट अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चूरू एवं तहसीलदार, चूरू का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद मय दस्तावेजात् एवं प्राप्त वस्तुस्थिति रिपोर्टों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि ग्राम चलकोई बीकान में अवस्थित अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विवादित मकानात् काफी पुराने एवं जर्जर अवस्था में हैं, जिनका आगे का आधा हिस्सा गिर चुका है तथा शेष आधा हिस्सा कभी भी गिर सकता है जिससे आस–पास के मकानात् एवं पड़ौस में निवास करने वाले रहवासियों तथा आम जन को जान–माल का नुकसान होने की पूर्ण सम्भावना है। उक्त विवादित पुराने व जर्जर मकानात् के गिरने की पूर्ण सम्भावना होने से पब्लिक न्युसेन्स की स्थिति कारित हो रही है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से परिवाद के विरोध में कोई उजर या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है बल्कि उक्त मकानात् को गिराये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया है। साथ ही अप्रार्थीगण को उक्त पुराने व जर्जर मकानात् को स्वयं अपने स्तर पर हटाकर सूचना इस न्यायालय में पेश करने हेतु पर्याप्त समय न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है परन्तु अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अप्रार्थी सं. 3 सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान की ओर से जिम्मेदार लोक सेवक एवं सक्षम प्राधिकारी होते हुए भी उक्त पब्लिक न्युसेन्स को हटाने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से परिवाद में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। इसलिए प्रार्थी, आस–पड़ौस में रहने वाले लोगों एवं आमजन के जान माल को होने वाले सम्भावित नुकसान को मध्यनजर रखते हुए व्यापक जनहित में ग्राम चलकोई बीकान में अवस्थित उक्त पुराने व जर्जर मकानात् को गिरा कर न्युसेन्स की स्थिति को हटाने का सशर्त आदेश दिया जाना यह न्यायालय उचित मानता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रमाणित होने से स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
चूरू

आदेश

अतः प्रार्थी मैनपालसिंह द्वारा प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 133 सी.आर.पी.सी. का प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 3 सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चलकोई बणीरोतान को सशर्त आदेश दिया जाता है कि ग्राम चलकोई बीकान में अवस्थित अप्रार्थी सं. 1 व 2 के मालिकाना हक, अधिकार के विवादित पुराने व जर्जर मकानात् को गिरा कर न्युसेन्स को हटा वें तथा उक्त मकानात् को गिराने का खर्चा अप्रार्थी सं. 1 व 2 को वहन करने का आदेश दिया जाता है। यदि अप्रार्थी सं. 1 व 2 उक्त खर्चा वहन करने से इन्कार करते हैं तो उक्त मकानात् के स्थल पर कोई नया निर्माण या किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति उक्त व्यय राशि जमा कराने के पश्चात् दी जावे। अप्रार्थीगण को उपरोक्त आदेश की पालना कर अनुपालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 07.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सूरू